



2026:AHC:129643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21869 वर्ष 2026

आकाश पाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	दीपांकर द्विवेदी
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 525 वर्ष 2025, धारा 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1), 190 बी.एन.एस., थाना - बड़ागांव, जिला - वाराणसी के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था। उसका नाम बाद में सह-अभियुक्त शुभम मोर्य के इकबालिया बयान में सामने आया। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि सह-अभियुक्त शुभम मोर्य के इकबालिया बयान के साथ-साथ घायल साक्षी रामू यादव के बयान में भी गोली चलाने की विशिष्ट भूमिका संदीप को सौंपी गई है। मृतक की मृत्यु गोली लगने की चोट के परिणामस्वरूप हुई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् प्रेमशंकर पटेल, करण प्रजापति और पवन कुमार पाल को इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या क्रमशः 16134 वर्ष 2026, 16489 वर्ष 2026 और 19508 वर्ष 2026 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है; हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त प्रेमशंकर पटेल, करण प्रजापति और पवन कुमार पाल के समान ही है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक को एफ.आई.आर. में नामजद नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले से, गोली की चोट पहुंचाने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त संदीप को सौंपी गई प्रतीत होती है। इस प्रकार, आवेदक का मामला सह-अभियुक्त संदीप से भिन्न है। इसके अलावा, समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् प्रेमशंकर पटेल, करण प्रजापति और पवन कुमार पाल को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.01.2026 से जेल में है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है।

8. जमानत आवेदन *स्वीकार* किया जाता है।

9. अभियुक्त-आवेदक **आकाश पाल**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित अदालत के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगी।

13. यहाँ की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोषों पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कुशल